

न्यायालय तहसीलदार, सूरजगढ़, जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी :::: मांगेराम पूनियां R.T.S.  
मिसल नं. :::: 187 / 2021

सरकार बनाम नरेन्द्र पुत्र मदनाराम, जाति-जाट,  
निवासी-बनगोटड़ी कलां

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत


निर्णय दिनांक 08.09.2021

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। गैर सायल स्वयं अनुपस्थित। गैर सायल की ओर से उसका पुत्र विकाश कुमार उपस्थित। इस प्रकरण में संक्षेप में मामला इस प्रकार से है कि गैर सायल नरेन्द्र पुत्र मदनाराम, जाति-जाट, निवासी-बनगोटड़ी कलां, द्वारा रोही मौजा बनगोटड़ी कलां की राजकीय भूमि ख.नं. 80 कुल रकबा 8.73 है० किस्म गै.मु. जोहड़ में से 0.05 है० भूमि पर तार बाड़ बनाकर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत की गई। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया। गैर सायल को नोटिस जारी किया गया। गैर सायल की ओर से उसके पुत्र ने हाजिर अदालत होकर जवाब नोटिस पेश किया जिसमें अतिक्रमण हटा लेना बताया है। अपने जवाब के समर्थन में अन्य कोई साक्ष्य सबूत पेश नहीं किया गया। अतः गैर सायल की ओर से पेश जवाब संतोषजनक नहीं माना जा सकता है। चूंकि भूमि की किस्म गै.मु. जोहड़ है एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अब्दुल रहमान बनाम राजस्थान सरकार में डी.बी. अपील सं. 1536 / 03 में दिये गये निर्णय के अनुसार नदी, नाले, जोहड़, पायतन आदि भूमि एवं जल प्रवाह व जल संग्रहण की भूमि के आवंटन/ नियमन पर प्रतिबन्ध है एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जगपाल सिंह व अन्य बनाम स्टेट ऑफ पंजाब व अन्य CIVIL APPEAL NO.1132 /2011 @ SLP(C) No.3109/2011 (Arising out of Special Leave Petition (Civil) CC No. 19869 of 2010) निर्णय दिनांक 28 जनवरी 2011 के द्वारा आवंटन हेतु प्रतिबन्धित भूमियों की श्रेणी में आती है। अतः रिपोर्ट पटवारी हल्का को सही मानते हुए गैर सायल को उपरोक्त विवादित भूमि का अतिचारी घोषित किया जाकर उनके विरुद्ध बेदखल करने के आदेश दिये जाते हैं। आर्थिक दण्ड स्वरूप सरह लगान का 50 गुणा तावान 15 रू. कायम किया जाता है।

तहसील राजस्व लेखाकार के अभिलेख में तावान राशि की कायमी करवाई जावे। पटवारी/ गिरदावर हल्का को तावान वसूली एवं मौका बेदखली हेतु लिखा जावे। मिसल फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 08.09.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
(मांगेराम पूनियां)  
तहसीलदार, सूरजगढ़

32  
य० ले० सं० 4 के पृष्ठ सं.....पर।  
वर्ष 2021-22 में रुपये 15/- कायम किए  
राजस्व लेखाकार